

- 1 -

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

2190-4-17

प्रकरण क्रमांक

-दो/2017 निगरानी

- (1) गोमा पुत्री देवीलाल लोधी
- (2) श्रीमती ग्याना पत्नि बैजनाथ लोधी
- (3) श्रीमती गौरा पत्नि श्रीराम लोधी
- (4) श्रीमती हरवान पुत्र कुँअरराज लोधी
- (5) कालीचरण पुत्र मान सिंह लोधी
- (6) किसना पुत्र अर्जना धोबी

निवासीगण ग्राम बाचरोन तहसील पिछोर
जिला शिवपुरी , मध्य प्रदेश

---आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- म०प्र०शासन द्वारा कलेक्टर, शिवपुरी
- 2- तहसीलदार तहसील पिछोर जिला शिवपुरी

---अनावेदकगण

(निगरानी अंतर्गत धारा धारा 50 सहपठित धारा 8, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत - आवेदकगण के स्वत्व की भूमि को पटवारी द्वारा शासकीय अभिलेख से विलोपित कर शासकीय कर देने एवं तहसीलदार तहसील पिछोर जिला शिवपुरी द्वारा अमल को दुस्क्रुत करने से इंकार करने के विरुद्ध)

कृ०पृ०३०-२.

[Handwritten signature]

श्री श्री सी. नाथक (उ०)
सहाज दि. 11-1-17 को
प्रस्तुत

कलकत्ता कोर्ट
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश

9062
17.1.17
G.P. Nayak
Adv.

शाखा प्रशासक (रा. प्र.)
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश-ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
निगरानी प्रकरण क्रमांक 190-दो/2017 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के ह																												
17-1-17	<p>यह निगरानी आवेदकगण के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि को शासकीय अभिलेख से नाम विलोपित कर देने एवं तहसीलदार पिछोर द्वारा अमल सुधार की दुरुस्ती का आवेदन देने पर मना करने के आधार पर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 सहपठित 8 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ प्रकरण का सारोश यह है कि आवेदकगण के नाम ग्राम बाचरोन में भूमि सर्वे क्रमांक 1378 रकबा 14.21 हैक्टर में उनके नाम पर निम्नांकित अनुसार भूमि शासकीय अभिलेख में दर्ज रही है :-</p> <table border="1"><thead><tr><th>क्र.</th><th>नाम कास्तकार</th><th>सर्वे नंबर</th><th>रकबा हैक्टर में</th></tr></thead><tbody><tr><td>1-</td><td>गोमा पुत्री देवलाल</td><td>1378</td><td>1.20</td></tr><tr><td>2-</td><td>ग्याना पत्नि बैजनाथ लोधी</td><td>उक्त में समान भाग</td><td></td></tr><tr><td>3-</td><td>गौरा पत्नि श्रीराम लोधी</td><td>उक्त में समान भाग</td><td></td></tr><tr><td>4-</td><td>हरवान पुत्र कुँअरराज लोधी</td><td>1378</td><td>3.00</td></tr><tr><td>5-</td><td>कालीचरण पुत्र मानसिंह लोधी</td><td>उक्त में समान भाग</td><td></td></tr><tr><td>6-</td><td>किसना पुत्र अर्जना धोवी</td><td>उक्त में समान भाग</td><td></td></tr></tbody></table> <p>भूमि सर्वे क्रमांक 1378 का बंदोवस्त के वाद नया सर्वे नंबर 1936 रकबा 5.950 हैक्टर बना, जिसमें रकबा 1.20 हैक्टर के भूमिस्वामी आवेदकगण क्रमांक 1 से 3 हैं तथा इसी भूमि के रकबा 3.00 हैक्टर के भूमिस्वामी आवेदक क्रमांक 4 से 6 हैं जो मौके पर काविज होकर खेती करके बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। आवेदक क्रमांक 6 सिंचाई हेतु ट्यूब वेल लगाने के लिये ऋण लेने बैंक गया एवं बैंकर्स ने नये खसरे की नकल माँगी, तब</p>	क्र.	नाम कास्तकार	सर्वे नंबर	रकबा हैक्टर में	1-	गोमा पुत्री देवलाल	1378	1.20	2-	ग्याना पत्नि बैजनाथ लोधी	उक्त में समान भाग		3-	गौरा पत्नि श्रीराम लोधी	उक्त में समान भाग		4-	हरवान पुत्र कुँअरराज लोधी	1378	3.00	5-	कालीचरण पुत्र मानसिंह लोधी	उक्त में समान भाग		6-	किसना पुत्र अर्जना धोवी	उक्त में समान भाग		
क्र.	नाम कास्तकार	सर्वे नंबर	रकबा हैक्टर में																											
1-	गोमा पुत्री देवलाल	1378	1.20																											
2-	ग्याना पत्नि बैजनाथ लोधी	उक्त में समान भाग																												
3-	गौरा पत्नि श्रीराम लोधी	उक्त में समान भाग																												
4-	हरवान पुत्र कुँअरराज लोधी	1378	3.00																											
5-	कालीचरण पुत्र मानसिंह लोधी	उक्त में समान भाग																												
6-	किसना पुत्र अर्जना धोवी	उक्त में समान भाग																												

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

निगरानी प्र0क0 190-दो/2017

पटवारी से संपर्क करने पर बताया गया कि भूमि सरकारी लिखी जा चुकी है, तब सभी ने मिलकर खसरो की प्रमाणित प्रतिलिपि निकलवाकर तहसीलदार पिछोर को दुरुस्ती आवेदन दिया एवं तहसीलदार ने उन्हें आवेदन वापिस नहीं किया तथा कार्यवाही करने से मुहूर्त जवानी मना कर दिया, जिसके कारण यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी मेमो में वर्णित तथ्यों पर आवेदकगण के अभिभाषक एवं शासन के पैनल लायर के तर्क सुने गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं प्रस्तुत खसरा पंचशाला सन् 1983-84 लगायत 1987-88 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से पाया गया है कि ग्राम बाचरोन तहसील पिछोर की भूमि सर्वे नंबर 1378 का रकबा 68 वीघा 3 विसवा है खसरे के भूमिस्वामी के कालम नंबर 3 में इस प्रकार प्रविष्ट दर्ज है -

गोभा पुत्री देवलाल, ग्याना पत्नि बैजनाथ, गोमा

पत्नि श्रीराम रकबा 1.20 है, हिस्सा 1/3 भाग सम

हरवान पुत्र कुँअरराज, कालीचरण पुत्र मान सिंह

किसना पुत्र अर्जना धोवी रकबा 3.00 हि. 1/3 भाग सम

खसरा प्रविष्टि अनुसार आवेदकगण वादग्रस्त भूमि के वर्ष 1983-84 लगायत 1987-88 भूमिस्वामी निरन्तर रहे हैं। आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि हलका पटवारी को बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के नवीन खसरा बनाते समय किसी भूमिस्वामी के स्वत्व की भूमि में छेड़-छाड़ करने अथवा नाम विलोपित करने की अधिकारिता नहीं है। विचार योग्य है कि जब वर्ष 1983-84 लगायत 1987-88 तक के मूल खसरे तहसील में अथवा जिला रिकार्ड रूम में उपलब्ध रहे हैं,

AM

1/14

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश-ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 190-दो/2017 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के ह
	<p>तहसीलदार द्वारा मूल खसरा मॅगाकर देखने का प्रयास नहीं किया है और आवेदकगण द्वारा खसरा सुधार की मांग हेतु प्रस्तुत आवेदन पर कार्यवाही संज्ञान में न लेने में भूल की है।</p> <p>6/ तहसील न्यायालय से आवेदक को जारी की गई खसरा पंचशाला वर्ष 1983-84 लगायत 1987-88 तक की प्रमाणित प्रतिलिपियों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदकगण के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित है इन अभिलेखों की अनदेखी करते हुये आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत संशोधन आवेदन के बारे तहसीलदार पिछोर की मना करने पर क्या शोच रही है अनुमान लगाना संभव नहीं है, किन्तु आवेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि शासकीय दर्ज बनाये रखना नियमानुकूल कार्यवाही नहीं मानी जा सकती है।</p> <p>7/ खसरा पंचशाला वर्ष 1983-84 लगायत 1987-88 की प्रमाणित प्रतिलिपियों तहसील करैरा से आवेदकगण को प्रदान की गई हैं। म०प्र०भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 117 इस प्रकार है :-</p> <p>“ धारा 117 - भू अभिलेखों में की प्रविष्टियों के बारे में उपधारणा - भू अभिलेखों में इस अध्याय के अधीन की गई समस्त प्रविष्टियों के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वे सही हैं जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। ”</p> <p>गंभीर सिंह तथा अन्य वि. कल्याण तथा अन्य 2000</p>	

Handwritten signature

Handwritten signature

निगरानी प्र०क० 190-दो/2017

रा०नि० 61 में न्यायमूर्ति श्री आर०पी०गुप्ता (हा०को०) ने व्यवस्था दी है कि (यद्यपि राजस्व लेखों की प्रविष्टियां खण्डन करने योग्य हैं परन्तु यदि प्रविष्टि का खण्डन नहीं होता है तो उसके सही होने का अनुमान किया जायेगा। जब दशकों से निरन्तर प्रविष्टि चली आ रही है तो उसके सही होने का अनुमान किया जायेगा)।

गनी खान वि. अपना वाई 1883 एम०पी०एल०जे० 304 = 1983 रा.नि. 213 में मान. उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि (जब खसरा की प्रतिलिपि उचित रूप से सत्य प्रमाणित हो और नियमानुसार दी गई हो तो साक्ष्य में ग्रहण करने योग्य होगी)।

विचाराधीन प्रकरण में भी यही स्थिति है एवं शासन के पैनल लायर प्रस्तुत अभिलेख का खण्डन नहीं कर सके हैं। शासकीय अभिलेख अद्वतन रखने का दायित्व राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों का है। गणेशी लाल जैन विरुद्ध म०प्र०राज्य 2004 रा०नि० 329, A.I.R. 1969 S.C. 1297 तथा 1998(1) M.P.W.N. 26 के न्याय दृष्टांत हैं कि संबत 2007 (सन 1950) से महिला सरवती वाई का नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित होकर 1961 तक भूमिस्वामी के रूप में दर्ज रहा। आवेदिका भूमिस्वामी है। भूमि आवेदक के स्वत्व एवं आधिपत्य की मानी गई। यही स्थिति विचाराधीन प्रकरण की है क्योंकि वादग्रस्त भूमि खसरा पंचशाला वर्ष वर्ष 1983-84 लगायत 1987-88 में निरन्तर आवेदकगण के नाम भूमिस्वामी स्वत्व दर्ज चली आ रही है जिसके कारण वह वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड भूमिस्वामी होना प्रमाणित है।

8/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि





XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश-ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 190-दो/2017 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के ह
	<p>आवेदकगण वर्ष 1983-84 लगायत 1987-88 निरन्तर भूमि पर काविज होकर खेती करके अपने बच्चों का लालन-पालन करते आ रहे हैं। आवेदकगण ने अपने अपने हिस्से पर प्राप्त भूमि उबड़-खाबड़ से समतल बनायी है जिसमें काफी मेहनत की गई है। यदि वर्ष वर्ष 1983-84 से आवेदकगण के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि उनसे वर्ष 2017 में (34 वर्ष बाद) हलका पटवारी द्वारा अपलेखन की त्रुटि को सत्य मानकर शासकीय अंकित कर दी जाती है तब आवेदकगण को परिवार का पालन-पोषण करना मुश्किल हो जावेगा, क्योंकि आवेदक पिछड़े वर्ग की जाति के होकर कृषि श्रमिक है। आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय -</p> <ol style="list-style-type: none">1. इन्दर सिंह तथा अन्य विरुद्ध म0प्र0राज्य 2009 रा0नि0 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया - सरकारी भूमि घोषित नहीं की सकती - प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण भूमिहीन बंटितियों को भूमि के आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता।2. देवी प्रसाद विरुद्ध नाके J.L.J. 155= 1975 R.N. 67= 1975 R.N. 208 का न्याय दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन 5 वर्ष पूर्व किया गया। आवंटित को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त। तत्पश्चात् आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता। <p>वर्ष 1983-84 लगायत 1987-88 तक निरन्तर आवेदकगण के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज चली आई है वादग्रस्त भूमि का नवीन खसरा बनाते समय हलका पटवारी ने बिना सक्षम अधिकारी</p>	






निगरानी प्र0क0 190-दो/2017

के आदेश प्राप्त किये भूमि शासकीय दर्ज की है, जिसके कारण आवेदकगण को व्यर्थ मुकदमेवाजी में उलझलना पड़ा है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार पिछोर को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम बाचरोन स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1378 बंदोवस्त के वाद नया सर्वे नंबर 1936 रकबा 5.950 हैक्टर में से रकबा 1.20 हैक्टर आवेदकगण क्रमांक 1 से 3 के नाम तथा इसी भूमि के रकबा 3.00 हैक्टर आवेदक क्रमांक 4 से 6 के नाम चालू वर्ष के खसरे (कम्प्यूटराईज्ड खसरा सहित) में भूमिस्वामी के रूप में पूर्ववत् अंकित करावें।

R
Mx


सदस्य